प्रेस नोट **30.04.2024**

<u>ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्त 25-25 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50,000-50,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश(बाल न्यायालय) कोर्ट प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 30-04-2024 को मु0अ0सं0 666/2016 धारा 376डी,328 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्तगण बबलू राजभर, पप्पू राजभर पुत्रगण रमाकान्त राजभर, रामप्यारे राजभर पुत्र श्रीकान्त राजभर निवासीगण गुलैचा थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 25-25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं ₹50,000-50,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश कुमार भारती थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार-

आज दिनांक 30.04.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सुचना पर आरोपी को उसके घर से मु0अ0सं0 107/24 धारा 504,505(2) भादवि में आरोपी राजकुमार पुत्र मोतीचंद निवासी जमीन लिलारी भरौली थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

02 अदद तमन्चा व कारतूस के साथ 02 शातिर गिरफ्तार-

आज दिनांक 30.04.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ढोलना पुलिया के पास से अभियुक्त मोहम्मद सवलत अली उर्फ मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद अली निवासी कलेण्डर तिराहा, वसीम पुत्र निसार निवासी अँसार नगर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से 02 अदद अवैध तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस (12 बोर, 315 बोर) बरामद किया गया उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 124/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मोहम्मद सवलत अली उर्फ मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद अली निवासी कलेण्डर तिराहा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2. वसीम पुत्र निसार निवासी अँसार नगर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
2. एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 124/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 652/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 485/2022 धारा 41/411/413 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 486/2022 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 383/2023 धारा 379/411 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 267/2018 धारा 3/5/8/ गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 585/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 30.04.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर रूट मार्च/पैदल गस्त किया जा रहा है तथा शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा दिलाया जा रहा है एवं अतिक्रमण आदि के सम्बन्ध में हिदायत दी जा रही है । साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।